HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON FRIDAY, THE $17^{\rm TH}$ DECEMBER, 2021 AT 02.00 P.M.

I. OBITUARY REFERENCES.

A MINISTER to make reference to the deaths of the late:-

- 1. Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, Brigadier Lakhwinder Singh Lidder and other victims of the helicopter crash.
- 2. Shri Hari Singh Nalwa, former Member of Parliament.
- 3. Freedom Fighters of Haryana.
- 4. Martyrs of Haryana.
- 5. Others.

II. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

III. FIRST REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

(i) THE SPEAKER

to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

(ii) A MEMBER OF THE COMMITTEE to move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

IV. ZERO HOUR.

V. CALLING ATTENTION NOTICE

Calling Attention Notice No.11 (Calling Attention Notice No. 16 clubbed with Calling Attention Notice No. 11)

Smt. Geeta Bhukkal, MLA

Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA

Shri Chiranjeev Rao, MLA

Shri Jagbir Singh Malik, MLA

Shri Shispal Singh, MLA

Shri Mewa Singh, MLA

Shri Aftab Ahmed, MLA- to call the attention of the Minister of Education regarding protest against the recruitment of staff for varsities through HPSC/HSSC.

Calling Attention Notice No.16

Shri Bharat Bhushan Batra, MLA

Smt. Geeta Bhukkal, MLA

Shri Aftab Ahmed, MLA

Shri Jagbir Singh Malik, MLA- to call the attention of the Minister of Education regarding the amendments in the recruitment procedure of teaching and non-teaching posts in the Universities of Haryana.

VI. PAPERS TO BE LAID/RE-LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

- 1. A MINISTER to lay on the Table the Haryana Pond and Waste Water Management Authority (Amendment) Ordinance, 2021. (Haryana Ordinance No. 1 of 2021).
- 2. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.11/GST-2, dated the 12th March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 3. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.12/GST-2, dated the 12th March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 4. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.13/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 5. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.14/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 6. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.15/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 7. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.16/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 8. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.17/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 9. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.18/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 10. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.19/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 11. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.20/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 12. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.21/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 13. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.22/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 14. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.23/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 15. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.24/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 16. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.25/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

- 17. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.35/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 18. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.36/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 19. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.37/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 20. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.38/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 21. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.39/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 22. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.40/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 23. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.41/GST-2, dated the 29th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 24. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.43/GST-2, dated the 07th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 25. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.44/GST-2, dated the 21st May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 26. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.45/GST-2, dated the 21st May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 27. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.46/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 28. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.47/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 29. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.48/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 30. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.49/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 31. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.50/GST-2, dated the 23rd June, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 32. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.51/GST-2, dated the 30th June, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 33. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.52/GST-2, dated the 30th June, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.



- 34. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.53/GST-2, dated the 30th June, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 35. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.54/GST-2, dated the 6th July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 36. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.55/GST-2, dated the 6th July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 37. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.56/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 38. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.57/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 39. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.58/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 40. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.59/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 41. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.60/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 42. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.61/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 43. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.62/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 44. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.64/GST-2, dated the 27th July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 45. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.69/GST-2, dated the 7th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 46. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 70/GST-2, dated the 26th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 47. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 71/GST-2, dated the 26th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 48. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 72/GST-2, dated the 27th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 49. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 74/GST-2, dated the 11th September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 50. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 75/GST-2, dated the 11th September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

- 51. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 76/GST-2, dated the 16th September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 52. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 77/GST-2, dated the 21st September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 53. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 79/GST-2, dated the 1st October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 54. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 83/GST-2, dated the 12th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 55. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 84/GST-2, dated the 12th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 56. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 85/GST-2, dated the 12th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 57. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 86/GST-2, dated the 20th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 58. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 87/GST-2, dated the 20th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 59. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 88/GST-2, dated the 20October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 60. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 89/GST-2, dated the 20th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 61. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 90/GST-2, dated the 28th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 62. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 91/GST-2, dated the 28th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 63. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 92/GST-2, dated the 28th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 64. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.93/GST-2, dated the 17th November, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 65. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.94/GST-2, dated the 17th November, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 66. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.95/GST-2, dated the 17th November, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 67. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.96/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

- 68. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.97/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 69. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.98/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 70. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.99/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 71. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.100/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 72. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.101/GST-2, dated the 15th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 73. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.102/GST-2, dated the 15th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 74. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.103/GST-2, dated the 15th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 75. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.01/GST-2, dated the 18th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 76. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.02/GST-2, dated the 22th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 77. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.03/GST-2, dated the 22th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 78. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.04/GST-2, dated the 22th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 79. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.05/GST-2, dated the 3rd February, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 80. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.08/GST-2, dated the 22nd March, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 81. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.09/GST-2, dated the 22nd March, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 82. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.10/GST-2, dated the 31st March, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 83. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.11/GST-2, dated the 15th April, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 84. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.12/GST-2, dated the 19th April, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

- 85. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.13/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 86. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.14/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 87. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.15/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 88. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.16/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 89. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.17/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 90. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.18/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 91. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.19/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 92. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.28/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 93. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.29/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 94. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.30/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 95. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.31/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 96. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.32/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 97. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.33/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 98. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.34/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 99. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.35/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 100. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.36/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 101. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.37/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

- 102. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.38/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 103. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.39/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 104. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.40/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 105. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.41/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 106. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.42/GST-2, dated the 6th July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 107. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.43/GST-2, dated the 6th July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 108. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.44/GST-2, dated the 26th July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 109. A MINISTER to re-lay on the Table the Personnel Department Notification No. G.S.R.5/Const./Art.320/2021, dated the 1st March, 2021 regarding amendment in the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.
- 110. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.45/GST-2, dated the 21st September, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 111. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.46/GST-2, dated the 21st September, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 112. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.47/GST-2, dated the 21st September, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 113. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.48/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 114. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.49/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 115. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.50/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 116. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.51/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 117. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.52/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

- 118. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.53/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 119. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.54/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 120. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.55/GST-2, dated the 14th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 121. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.56/GST-2, dated the 14th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 122. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.57/GST-2, dated the 26th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 123. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.58/GST-2, dated the 26th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 124. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.59/GST-2, dated the 26th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 125. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.62/GST-2, dated the 10th November, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 126. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.63/GST-2, dated the 10th November, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 127. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.65/GST-2, dated the 22nd November, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 128. A MINISTER to lay on the Table the Administrative Reforms Department's Notification No.7/8/2011-3AR, dated the 26th August, 2021, as required under section 21(3) of the Right to Service Act, 2014.
- 129. A MINISTER to lay on the Table the Power Department Notification /Regulation No. HERC/53/2021, dated the 30th April, 2021, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.
- 130. A MINISTER to lay on the Table the Power Department Notification /Regulation No. 935/HERC/Tariff, dated the 1st June, 2021, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.
- 131. A MINISTER to lay on the Table the Power Department Notification /Regulation No. HERC/18/2008/1st Amendment/2021, dated the 14th June, 2021, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.
- to lay on the Table the Power Department Notification /Corrigendum No. HERC/18/2008/1st Amendment/2021, dated the 7th July, 2021, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.
- to lay on the Table the Power Department Notification /Regulation No. HERC/54/2021, dated the 19th July, 2021, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.
- 134. A MINISTER to lay on the Table the 43rd Annual Report of Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 2016-2017, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

135.	A MINISTER	to lay on the Table the Audit Report and Annual Accounts of the Haryana State Agricultural Marketing Board for the year 2019-20, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
136.	A MINISTER	to lay on the Table the 55 th Annual Report of the Haryana Public Service Commission for the year 2020-2021 (April 1, 2020 to March 31, 2021), as required under Article 323 (2) of the Constitution of India
137.	A MINISTER	to lay on the Table the 50 th Annual Report & Accounts of Haryana Agro Industries Corporation Limited for the year 2016-2017, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.
138.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of Lokayukta Haryana for the year 2020-2021 (01.04.2020 to 18.07.2021), as required under section 17(4) of the Haryana Lokayukta Act, 2002.
139.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of Haryana Khadi & Village Industries Board for the year 2016-2017, as required under section 19 (3) of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
140.	A MINISTER`	to lay on the Table the 51 th Annual Report of Haryana State Warehousing Corporation, for the year 2017-2018, as required under section 31 (11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.
141.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India on General Purpose Financial Report of State Public Sector Enterprises for the year ended 31 st March, 2020 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.
142.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India on Revenue Sector for the year ended 31 st March, 2020 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.
143.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the State Finances Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31 st March, 2020 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of

VII. <u>LEGISLATIVE BUSINESS.</u>

(Bill to be introduced)

The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2021

^a A MINISTER

Article 151 of the Constitution of India.

to move for leave to introduce the Haryana Private Universities (Amendment) Bill;

Also to introduce the Bill.

CHANDIGARH: THE 16TH DECEMBER, 2021. RAJENDER KUMAR NANDAL, SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को 02.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीय:--

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर और हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अन्य शहीद;
- 2. श्री हरी सिंह नलवा, भूतपूर्व सांसद;
- हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी;
- हरियाणा के शहीद;
- 5. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

II. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

III. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

- (i) अध्यक्ष विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
- (ii) सिमिति के प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार सिमिति की एक सदस्य पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

IV. शून्य काल ।

\mathbf{v}_{ullet} ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या—11 (ध्यानाकर्षण सूचना संख्या—16 ध्यानाकर्षण सूचना संख्या—11 के साथ क्लब कर दी गई)

श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.

श्री रघुवीर सिंह कादियान, एम.एल.ए.

श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए.

श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए.

श्री शीशपाल सिंह, एम.एल.ए.

श्री मेवा सिंह, एम.एल.ए.

श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.— हरियाणा लोक सेवा आयोग / हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों के लिए कर्मचारियों की भर्ती के विरोध करने से संबंधित शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षण करने के लिए।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-16

श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.

श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.

श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.

श्री जगबीर सिंह मिलक, एम.एल.ए.— हरियाणा के विश्वविद्यालयों में अध्यापन तथा गैर—अध्यापन पदों की भर्ती में संशोधन करने से संबंधित शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षण करने के लिए।

VI. सदन की मेज पर रखे जाने वाले / पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।

- 1. एक मंत्री हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) मेज पर रखेंगे।
- 2. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस. टी—2, दिनांकित 12 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 3. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 12 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 4. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 5. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 6. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 7. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 8. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 9. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 10. एक मंत्री हिरयाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 11. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनं रखेंगे।
- 12. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 13. एक मंत्री हिरयाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 14. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/जी.एस. टी—2 दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

- 15. एक मंत्री हिरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 16. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गईं अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/जी.एस. टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 17. एक मंत्री हिरयाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस. टी—2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 18. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस. टी—2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 19. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस. टी—2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 20. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस. टी—2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 21. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस. टी—2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 22. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस. टी—2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 23. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस. टी—2, दिनांकित 29 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 24. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस. टी—2, दिनांकित 07 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 25. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 26. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 27. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस. टी—2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 28. एक मंत्री हिरयाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस. टी—2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 29. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस. टी—2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 30. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस. टी—2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

31.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.
32.	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 23 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
22	एक मंत्री	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
33.	7 42 (121)	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52 / जी.एस. टी–2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
34.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस. टी–2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
35.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.
36.	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.
37.	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.
38.	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.
39.	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.
40.	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.
41.	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.
42.	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.
43.	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.
44.	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस. टी—2, दिनांकित 27 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
45.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.
46.	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 07 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस. टी—2, दिनांकित 26 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

- 47. एक मंत्री हिरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस. टी—2, दिनांकित 26 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

 48. एक मंत्री हिरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/जी.एस. टी—2, दिनांकित 27 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 49. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस. टी—2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 50. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/जी.एस. टी—2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 51. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/जी.एस. टी—2, दिनांकित 16 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 52. एक मंत्री हिरयाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 53. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 79/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 54. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/जी.एस. टी—2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 55. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/जी.एस. टी—2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 56. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/जी.एस. टी—2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 57. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/जी.एस. टी—2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 58. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 59. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 60. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/जी.एस. टी—2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 61. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 90 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 62. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/जी.एस. टी—2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 63. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 64. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 93 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 65. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 94 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020 मेज पर पुनःरखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 66. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 67. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 96 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनःरखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 68. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 97 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनःरखेंगे। एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई 69. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 98 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनःरखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 70. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 99 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 71. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 100/जी.एस. टी-2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 72. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/जी.एस. टी-2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 73. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 102 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 74. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 103 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनःरखेंगे। हरियाणा माल और सेंवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 75. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस. टी-2, दिनांकित 18 जनवरी, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 76. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 22 जनवरी, 2021 मेज पर पुनःरखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 77. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 22 जनवरी, 2021 मेज पर पुनःरखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 78. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04 / जी.एस. टी–2 दिनांकित 22 जनवरी, 2021 मेज पर पुनःरखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 79.

अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05 / जी.एस.

टी—2, दिनांकित 03 फरवरी, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई 80. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 22 मार्च, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई 81. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस. टी—2, दिनांकित 22 मार्च, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 82. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 31 मार्च, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 83. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस. टी-2, दिनांकित 15 अप्रैल, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 84. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 19 अप्रैल, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 85. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस. टी-2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 86. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस. टी-2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 87. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 88. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस. टी-2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 89. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस. टी-2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 90. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 91. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 92. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 93. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 94. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30 / जी.एस. टी-2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 95. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31 रेजी.एस. टी-2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई एक मंत्री 96. अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32 / जी.एस.

टी—2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

- 97. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 98. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 99. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 100. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 101. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 102. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 103. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 104. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 105. एक मंत्री हिरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 106. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 107. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 108. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 26 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 109. एक मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, हिरयाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.5/कांस्ट./आर्ट. 320/2021, दिनांकित 01 मार्च, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
- 110. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 111. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।

- 112. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 113. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 114. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 115. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 116. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 117. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस. टी–2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 118. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस. टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 119. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस. टी–2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 120. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस. टी—2, दिनांकित 14 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 121. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 14 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 122. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गईं अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस. टी—2, दिनांकित 26 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 123. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस. टी—2, दिनांकित 26 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 124. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस. टी—2, दिनांकित 26 अक्तूबर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 125. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 10 नवम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 126. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस. टी—2, दिनांकित 10 नवम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 127. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 128. एक मंत्री सूचना का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 21 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 7/8/2011—3 ए आर, दिनांकित 26 अगस्त, 2021, मेज पर रखेंगे।

- 129. एक मंत्री बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना / विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी. / 53 / 2021, दिनांकित 30 अप्रैल, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 130. एक मंत्री बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना / विनियमन संख्या 935 / एच.ई.आर.सी. / टैरिफ, दिनांकित 01 जून, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 131. एक मंत्री बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना / विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी. / 18 / 2008, प्रथम संशोधन / 2021, दिनांकित 14 जून, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 132. एक मंत्री बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना / विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी. / 18 / 2008, प्रथम संशोधन / 2021, दिनांकित 07 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 133. एक मंत्री बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना / विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी. / 54 / 2021, दिनांकित 19 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।
- 134. एक मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016—2017 के लिए हरियाणा भूमि सूधार तथा विकास निगम लिमिटेड की 43वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
- 135. एक मंत्री नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19—क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019—2020 के लिए हिरयाणा राज्य कृषि विपणन मंडल की लेखा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे मेज पर रखेंगे।
- 136. एक मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020—2021 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की 55 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
- 137. एक मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016—2017 के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
- 138. एक मंत्री हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020—2021 (01.04.2020 से 18.07.2021) के लिए हरियाणा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
- 139. एक मंत्री नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19—क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016—2017 के लिए हिरयाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
- 140. एक मंत्री भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017—2018 के लिए हरियाणा राज्य भाण्डागारण निगम की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
- 141. वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षण रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
- 142. वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व सैक्टर पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षण रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
- 143. वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड—2 के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राज्य वित्तों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षण रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

VII. विधायी कार्य

(पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक)

हरियाणा निजी **एक मंत्री** विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

चण्डीगढ़ः 16 दिसम्बर, 2021. राजेन्द्र कुमार नांदल, सचिव।